## Order Sheet [Contd] Case No 70/2017 बी.ए

|                                   | Case No 10 / 20   | , iii y  |
|-----------------------------------|---|--|
| Date of<br>Order or<br>Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding   | Signature of<br>Parties or Pleaders<br>where necessary |
| 13.02.2017                        | आवेदक / आरोपी गजेन्द्र की ओर से श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी न्यायालय गोहद से प्र0क0 870 / 2012 ई.फो. शासन पु. एण्डोरी वि० हल्के आदि का मूल अभिलेख प्राप्त। आवेदक / आरोपी की ओर से अधि. श्री सुरेश गुर्जर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फो० का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक / आरोपी उसके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में संचालित प्रकरण में पूर्व पेशी दिनांक 12.11.2013 को मजदूरी करने बाहर चला गया था जिस कारण वह न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था और न ही अपने अभिभाषक को अनुपस्थित की सूचना दे पाया था, जिस कारण न्यायालय के द्वारा उसके जमानत मुचलके जप्त कर उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। आवेदक / आरोपी के द्वारा 06.02.2017 को न्यायालय में स्वयं समर्पण किया है और उसी दिनांक से वह अभिरक्षा में है। आवेदक स्थाई निवासी है। वह जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी जिसके विरुद्ध धारा 452, 294, 323, 325 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोगपत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचारधीन था। दिनांक 12.11.2013 को जबिक प्रकरण आसेप तर्क की स्टेज पर था आरोपी के अनुपस्थित हो जाने से उसके जमानत मुचलके जप्त कर वारट का आदेश हुआ है। आरोपी के द्वारा दिनांक 06.02.2017 को न्यायालय में समर्पण किया है जिस्से कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है। आवेदक के द्वारा अनुपस्थित का कारण उसका बाहर मजदूरी पर जाना बताया है। यद्यपि आरोपी की अनुपस्थित का कारण उसका बाहर मजदूरी पर जाना बताया है। यद्यपि आरोपी की अनुपस्थित का कारण उसका बाहर मजदूरी पर जाना बताया है। यद्यपि आरोपी की अनुपस्थित का कारण उसका बाहर मजदूरी पर जाना बताया है। यद्यपि आरोपी की अनुपस्थित का कारण उसका वाहर मजदूरी पर जाना बताया है। यद्यपि आरोपी की अनुपस्थित का कारण मजदूरी पर जाना बताया है। यद्यपि आरोपी की अनुपस्थित का कारण उसका बाहर मजदूरी पर जाना बताया है। यद्यपि आरोपी की अनुपस्थित का कारण उसका बाहर मजदूरी पर जाना बताया है। यद्यपि आरोपी की अनुपस्थित का कारण उसका वाहर स्व |  |
|                                   | - Cr  |  |

जाना पर्याप्त कारण होना नहीं कहा जा सकता है, किन्तु आरोपी जो कि दिनांक 06.02.2017 से न्यायिक अभिरक्षा में है, उसे उसकी अनुपस्थिति की पर्याप्त सबक मिल चुकी है ऐसा माना जा सकता है। प्रकरण में शेष आरोपीगण की उपस्थिति भी होनी है। ऐसी दशा में प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

विचारोपरांत आवेदक / आरोपी की ओर से संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 40,000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इसी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय का पेश हो कि वह प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा। आरोपी के पूर्व के मुचलके से राशि जप्त करने हेतु विचारण न्यायालय स्वतंत्र रहेगा। उक्त शर्तों के अधीन जमानत पेश हो तो उसे जमान पर छोडे जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित विचारण न्यायालय को बापस किया जावे।

WITHOUT PARENT BUILTING STRIPTS OF THE STRIPTS OF T प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

WITHOUT PROTOTO STATE OF STATE

WITHOUT PATERS BUILTING BUILTI